न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान .... बनाम ....

प्रकरण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर ... जो इस ... पालना
30/01/23	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक १२/०४/२०२२ को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किए जाने बाबत निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA इसी स्तर पर खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाए जाते हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक १२/०४/२०२२ मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली निर्णीत [illegible] नम्बर से कम होकर मूलवाद [illegible] साथ संलग्न किया जावे।	
	उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:32:29 IST
Reason: SelfAttested